मानक प्रचालन कार्यविधि

पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य

देहरादून, उत्तराखण्ड

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप,
गोरखपुर

नोट

मानक प्रचालन कार्यविधि

पशुपालन विभाग,

उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य

विवरणिका

1. संदर्भ

2. उद्देश्य

3. पूर्व तैयारी क्रिया
   - 3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण
   - 3.2 संसाधन मानचित्रण व दिशा-निर्देश
   - 3.3 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया
   - 6.1 प्रथम चरण
   - 6.2 द्वितीय चरण

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया
   - 7.1 प्रशासनिक कार्य
   - 7.2 लेखा सम्बन्धी कार्य

8. सुझाव

9. चेकलिस्ट

1. संदर्भ

उत्तराखण्ड के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में है। देश के अन्य भागों के समान ही यहां भी पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, जो कृषि कार्यों के लिए आवश्यक बायोमॉस और खाद तैयार करने के अतिरिक्त परिवार की घरेलू आय को बढ़ाने तथा परिवार को पोशण प्रदान करने में अपना योगदान देता है। पशुपालन की गतिविधि राज्य के लाखों घरों में की जाती है। इससे सीमान्त व भूमिहीन किसानों को रोजगार प्राप्त होता है। पहाड़ी हरे–भरे क्षेत्र जहां पशुपालन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं, वहीं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों एवं मानवीय गतिविधियों के कारण राज्य सर्वाधिक आपदा संभावित राज्यों की श्रेणी में शामिल होता जा रहा है। राज्य में भारी वर्शा, बादल फटना, भूस्खलन, त्वरित बाढ़, हिमस्खलन जैसी आपदाओं की आवृत्ति बढ़ती जा रही है और इससे निश्चित तौर पर पशुपालन प्रभावित हो रहा है। आपदाओं से पशुओं के होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के साथ ही आपदा पूर्व की विभाग की तैयारी एवं आपदा बाद किये जाने वाले प्रयास भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। विभाग के राज्य मुख्यालय तथा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आपदा के सन्दर्भ में समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं। पशुपालन विभाग की मानक प्रचालन कार्यविधि उन्हीं दिशा–निर्देशों का संकलित स्वरूप है।

2. उद्देश्य

पशुपालन विभाग की मानक प्रचालन कार्यविधि तैयार करने के निम्न विशिष्ट उद्देश्य हैं –

- विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का सन्दर्भ लेते हुए राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक की सभी इकाईयों के बीच कार्यों एवं जिम्मेदारियों की स्पश्टता विकसित करना।
- आपदा के दौरान पशुओं के नुकसान को कम से कम करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नियोजन कर वहां की पशुधन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करना।

3. पूर्व तैयारी क्रिया

विभाग द्वारा पूर्व तैयारी क्रिया के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां सम्पादित की जायेंगी–

3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण

- निदेशक पशुपालन द्वारा 15 अप्रैल तक जारी निर्देश के अनुसार अप्रैल–मई माह तक राज्य स्तर पर आपदा कण्ट्रोल रूम की स्थापना करते हुए नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। पुनः यही प्रक्रिया मण्डल से लेकर विकासखण्ड स्तर तक पर अपनायी जायेगी –
  - मण्डल स्तर पर तैनात अपर निदेशक नोडल अधिकारी होंगे।
  - जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्सा–धिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
  - विकासखण्ड स्तर पर तैनात पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड 1 आपदा नोडल अधिकारी होंगे।
- जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/ पशु चिकित्साधिकारी (नोडल अधिकारी) अप्रैल–मई माह तक आपदा निवारण हेतु विकासखण्ड स्तर पर विभागीय आपदा टीम का गठन करेंगे और उसकी सूचना राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इस टीम में एक पशु चिकित्साधिकारी, दो पशुधन प्रसार अधिकारी तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होंगे।
- मुख्य पशु चिकित्सधिकारी के निर्देश पर विकासखण्ड स्तरीय आपदा नोडल अधिकारी अप्रैल–मई माह तक अपने–अपने विकास खण्डों में आपदा प्रकोष्ठ को सक्रिय करेंगे।

- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के निर्देश पर पशुधन प्रसार अधिकारी के सहयोग से पशु चिकित्साधिकारी व बुग्याल जाने वाले रास्तों पर कैम्प लगाकर पशुओं की गणना की जायेगी और उनका टीकाकरण किया जायेगा।

3.2 संसाधन मानचित्रण एवं दिशा-निर्देश

- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के निर्देश पर पूर्व आकलन अनुसार विशेषकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में स्थित पशुपालकों की सूची पशुधन प्रसार अधिकारी तैयार कर मई माह तक जनपद मुख्यालय पर उपलब्ध करा देंगे।

- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के निर्देश पर पशुधन प्रसार अधिकारी सुरक्षित स्थान पर पशु शरणस्थल की व्यवस्था करेंगे।

- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के निर्देश पर पशु चिकित्सालयों तथा पशु सेवा केन्द्रों पर आपदा के पूर्व चारा, बीज, काम्पैक्ट फीड बैग, औषधि, वैक्सीन आदि की आपूर्ति की जायेगी ताकि आपदा की स्थिति में पशुओं को चारा व दवा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

- राज्य मुख्यालय के निर्देश पर जनपद स्तर पर पशुओं के लिए वैक्सीन व दवाओं की खरीद फरवरी–मार्च तक कर ली जायेगी और मई–जून तक उन्हें विकासखण्ड स्तर तक पहुंचा दिया जायेगा। आपदा को ध्यान में रखते हुए क्रय किये गये दवाओं का 20 प्रतिशत को सुरक्षित रखा जायेगा।

- आपातकालीन स्थितियों में पशुओं की चारा आवश्यकता को पूरा करने हेतु पशु चिकित्साधिकारी आस–पास के चारा बैंकों से पूर्व में ही समन्वय स्थापित कर लेंगे।

- राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी यह दिशा–निर्देश जारी करेंगे कि लम्बे समय तक चलने वाली आपदा की स्थिति में फसलों के ऐसे अवशेष जो सामान्य समय में पशुओं को नहीं दिये जा सकते हैं, उनको अप्रचलित चारे के रूप में सामान्य चारे में 10–15 प्रतिशत मिलाकर उपयोग किया जाये।

- राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी यह दिशा–निर्देश जारी करेंगे कि गन्ना बोये जाने वाले क्षेत्रों में अगोला/गन्ने की सूखी पत्तियों को अप्रचलित चारे के रूप में सामान्य चारे में 10–15 प्रतिशत मिलाकर उपयोग किया जाये।

- जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी विभाग से सम्बन्धित सभी संसाधनों व सूचनाओं को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से एस.डी.आर.एन./आई.डी.आर.एन. वेबसाइट पर अपडेट करायेंगे।

3.3 क्षमतावर्धन व माइड्रिल का आयोजन

- राज्य एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा से बचाव हेतु समय–समय पर राज्य एवं जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पूर्वाभ्यासों में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।

- राज्य मुख्यालय के निर्देश पर जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को आपदा से निपटने हेतु पूर्वाभ्यास कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

- राज्य मुख्यालय के निर्देश पर समस्त विभागीय संस्थाओं को दूर संचार व्यवस्था से जोड़ दिया जायेगा ताकि आपदा की स्थितियों में सूचनाओं के आदान–प्रदान में कोई बाधा न उत्पन्न होने पाये।

- अप्रैल–मई–जून माह में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के निर्देशन में पशु चिकित्साधिकारी पशुधन प्रसार अधिकारी के सहयोग से जागरूकता शिविरों का आयोजन करेंगे। जनसम्पर्क करेंगे और आपदा के समय होने वाली विभिन्न बीमारियों के प्रति पशुपालकों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु आकस्मिक स्थिति में किये जाने वाले प्राथमिक उपचार के सम्बन्ध में जानकारी देंगे।

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

राज्य के अन्दर किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने हेतु सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु विभाग स्तर पर स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे, जिनके अनुसार –

- राज्य से लेकर विकासखण्ड तक प्रत्येक स्तर पर कण्ट्रोल रूम की स्थापना की जायेगी।

- 15 मई – 15 सितम्बर तक विकासखण्ड स्तर से जनपद स्तर पर और जनपद स्तर से राज्य मुख्यालय को दैनिक आधार पर सायं पांच बजे रिपोर्टिंग की जायेगी।

- आपदा घटित होने की स्थिति में पशुधन प्रसार अधिकारी प्रथम उत्तरदाता होगा, जो फील्ड स्तर पर ही होगा और तुरन्त अपने स्तर से पशुओं के उपचार की व्यवस्था प्रारम्भ करेगा। साथ ही मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को सूचित करेगा।

- प्रत्येक अधिकारी का अधिकार क्षेत्र पहले से ही निर्धारित होगा और उनके अधिकार क्षेत्र व उत्तरदायित्वों के लिए पहले से ही राज्य मुख्यालय स्तर से अधिसूचना जारी कर दी जायेगी।

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन

राज्य में आपदाओं की स्थिति से निपटने हेतु विभागीय स्तर पर निदेशक, पशुपालन द्वारा 15 अप्रैल तक निर्देश जारी कर दिये जायेंगे। जिसके अनुपालन में विभाग के जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर तैयारियां प्रारम्भ हो जायेंगी।

पूर्व चेतावनी के लिए राज्य से लेकर विकासखण्ड स्तर तक विभाग राज्य/जिला प्रशासन के साथ सम्बद्ध रहेगा। विभाग के अन्दर राज्य स्तर पर स्थापित आपदा नियन्त्रण कक्ष राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से समन्वय स्थापित करेगा, जहां से उसे आपदा से सम्बन्धित चेतावनी मिलती रहेंगी। जिसे वह तद्नुसार प्रत्येक स्तर पर प्रसारित करेगा और प्रत्येक स्तर पर विभागीय अधिकारी व कर्मचारी आपदा के दौरान अपने निर्धारित कार्यों को करना प्रारम्भ कर देंगे। इसके अतिरिक्त आपदा के समय जनपद स्तर पर विभाग जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा विकासखण्ड स्तर पर एस0डी0एम0 के समन्वयन में कार्य करेगा।

तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के स्तरों का निर्धारण

आपदा की तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के एल1 एल2 व एल3 स्तर का निर्धारण होगा। आपदा का प्रतिवादन करने हेतु नियोजन भी उपरोक्त तीन स्तरों के आधार पर की जानी होगी। स्तरों के आधार पर नियोजन निम्नानुसार होगा –

एल-1 आपरेशन

यह क्रियाशीलता का न्यूनतम स्तर होता है। इस स्तर में कुछ ही लोगों की आवश्यकता होती है। मुख्यतः इस स्तर में योजनाएं बनाने, सूचनाएं प्रसारित करने जैसा कार्य प्रमुख होता है। उदाहरणस्वरूप चेतावनी प्रसारित करना या कुछ निम्न स्तरीय घटनाओं से सम्बन्धित योजना बनाना आदि इस स्तर में शामिल होते है।

एल–2 आपरेशन

इस स्तर के आपरेशन के दौरान अधिक आपदा बचाव कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस स्तर की आपदा में जिला नोडल अधिकारी सभी क्रियाओं का संचालन एवं समन्वयन कर सकता है।

एल–3 आपरेशन

एल–3 स्तर की आपदाओं में विभाग से जुड़े सभी लोगों की क्रियाशीलता एवं संलिप्तता आवश्यक होती है। यह स्तर सामान्यतः उस दशा में लागू किया जाता है, जब आपदा का समय पूर्व निर्धारित हो और आपदा की तीव्रता अत्यधिक हो। एल 3 स्तर के आपरेशन में राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र के समन्वयन में विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता के निर्देश पर विभाग प्रतिवादन करेगा।

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

6.1 प्रथम चरण

- आपदा घटित होने की सूचना मिलते ही राज्य स्तर पर नामित नोडल अधिकारी सक्रिय हो जायेंगे और राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर स्टेजिंग एरिया में पहुंचेंगे। ठीक इसी प्रकार जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर स्टेजिंग एरिया में पहुंचेंगे। विकासखण्ड स्तर पर गठित टीम अपने नोडल अधिकारी के नेतृत्व में सक्रिय हो जायेगी और उप जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करने लगेगी।

- प्रत्येक स्तर पर स्थापित आपदा नियन्त्रण कक्ष सक्रिय हो जायेगा और सभी स्तरों पर सूचनाओं का आदान–प्रदान होने लगेगा। आपदा की स्थिति में जनपदस्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सायं 5 बजे स्थिति के सम्बन्ध में सूचना राज्य स्तरीय आपदा प्रकोष्ठ को दी जायेगी।

6.2 प्रथम चरण

- आपदा की सूचना मिलते ही तत्काल विकासखण्डस्तरीय गठित आपदा टीम आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर पशुओं का उपचार/देख–रेख प्रारम्भ कर देगी।

- विकासखण्ड स्तर पर पशु चिकित्साधिकारी तथा ग्रांम स्तर पर पशुधन प्रसार अधिकारी पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके उपचार आदि की व्यवस्था करेंगे।

- पशु चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में आपदा स्थल पर एक–दो घण्टे तक पशु स्वास्थ्य शिविर लगाकर पशुओं का उपचार किया जायेगा। तत्पश्चात् मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के निर्देश पर पशु चिकित्साधिकारी अपने साथ एक चपरासी व कुछ दवाएं लेकर निकटवर्ती गांवों में प्रभावित पशुपालकों के द्वार पर सुविधाएं उपलब्ध करायेगा।

- पशु चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर ही जायेगा।

- राज्य स्तर पर विभाग मुख्यालय से यह अधिसूचना जारी की जायेगी कि पशु चिकित्साधिकारी किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में पशु चिकित्सा केन्द्रों/पशु सेवा केन्द्रों को अस्थाई तौर पर निलम्बित कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के शिविर करेंगे।

- आपदा के दौरान पशुओं के लिए पेयजल, भूसा/चारा, आदि की आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी ज्वार, मक्का, बाजरा आदि के सूखे डण्ठल और मसूर की दाल के छिलके आदि का परम्परागत स्रोत के रूप में प्रयोग में लाये जाने हेतु आपूर्ति करेंगे।

- जिन क्षेत्रों में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो, वहां पर जिला प्रशासन के सहयोग से व पेयजल विभाग के समन्वयन में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के निर्देश पर पशु चिकित्साधिकारी एक दिन छोड़कर पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे।

- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी चाटन भेली के पर्याप्त मात्रा में पशुपालकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

- अधिसूचित पशु महामारी फेलने पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जायेगी। अधिसूचना जारी होने के उपरान्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पशु चिकित्साधिकारियों के सहयोग से प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का आवागमन पुलिस व राजस्व विभाग के सहयोग से निरूद्ध करेंगे। ऐसे बीमारी वाले क्षेत्रों में पशुमेला या पशु प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया जायेगा।

- इसके साथ ही उनके उपचार की पूर्ण व्यवस्था की जायेगी, सैम्पल लिया जायेगा, उसका परीक्षण भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय स्तर के प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा और बीमारियों की रोक–थाम होने तक निगरानी एवं सर्वेक्षण का कार्य जारी रखा जायेगा।

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

आपदा बाद लेखा सम्बन्धी एवं अन्य विभिन्न प्रशासनिक कार्य व उनकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

7.1 प्रशासनिक कार्य

- लम्बे समय तक विद्यमान रहने वाली आपदा के दौरान पशुओं की प्रजनन क्षमता के ह्रास को रोकने के लिए पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

- राज्य मुख्यालय से निर्देश प्राप्त कर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी सहायक चारे की उपलब्धता के लिए माह सितम्बर में चारा बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/ पशु चिकित्साधिकारी के निर्देश पर पशुधन प्रसार अधिकारी समीपस्थ नहरों के स्थित सिंचित क्षेत्रों में जौ, लूर्सन आदि को चारा फसल के रूप में बुवाई करने हेतु पशुपालकों को प्रोत्साहित करेंगें।

- बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अक्टूबर से दिसम्बर तक पशुओं का टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान व दवास्नान कराया

7.2 लेखा सम्बन्धी कार्य

- पशु चिकित्साधिकारी आपदा से मृत पशुओं का शव विच्छेदन करेंगे, पशुओं के गायब होने की दशा में उनका पंचनामा बनवायेंगे, अपनी पशुगणना अभिलेख से सत्यापन करेंगे और पंचनामें के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेंगे। साथ ही आपदा से हुई क्षति का मूल्यांकन कर राजस्व विभाग को सूचित करेंगे।

- विभागीय भवनों या अन्य संसाधनों की क्षति होने की स्थिति में क्षति के आकलन हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को एक पत्र लिखेंगे। आर.ई.एस. द्वारा आकलन कर रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य पशु चिकित्साधिकारी विभाग के राज्य मुख्यालय को सम्बन्धित दस्तावेज सौंप कर पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजेंगे।

8. सुझाव

9. चेकलिस्ट

आपदा पूर्व तैयारी

यह प्रपत्र नोडल अधिकारी द्वारा (पशुपालन विभाग) द्वारा भरकर जिला आपदा प्राधिकरण व राज्य मुख्यालय (पशुपालन विभाग) को सौंपा जायेगा–

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण निम्न एजेन्सियों/संस्थाओं से संचार व्यवस्था स्थापित की गई है– • राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र • राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण • जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र • जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण • विभागीय कार्यालय (डिवीजन के अन्दर) • जिला प्रशासन		
विभाग के अन्दर राज्य से लेकर विकासखण्ड तक प्रत्येक स्तर पर आपदा प्रबन्धन दल का गठन कर लिया गया है।		
सभी स्तरों पर आपदा स्थितियों में समन्वय स्थापित करने हेतु नोडल अधिकारी को नामित कर दिया गया है।		
आवश्यकतानुसार आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों का भण्डारण कर लिया गया है।		
आपदा, उसके प्रभाव एवं उससे बचाव के बारे में सभी पशुचिकित्सकों और केन्द्रों के स्टाफ को जागरूक किया गया हैं।		
संवेदनाहारी दवाओं की आपात आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।		
चिकित्सालयों में पानी भण्डारण टैंक भर दिया गया है।		
आपदा के दौरान बड़ी संख्या में पशुओं के घायल होने की स्थिति में उनके उपचार हेतु अस्पताल का एक क्षेत्र तैयार किया गया है।		
आपात प्रवेश प्रक्रिया प्रणाली विकसित की गई है।		
गांवों में गंभीर रूप से घायल पशुओं को के पशुचिकित्सा सहायता केन्द्रों व अस्पतालों में लाने की व्यवस्था की गई है।		

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
आपदा स्थल पर निम्न व्यवस्थाएं स्थापित की गई है– – मवेशी शिविर – अतिरिक्त पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र		
मवेशी शिविर में निम्न व्यवस्थाएं की गई है– – पानी – चारा – पशु आहार		
महामारी फैलने के संदर्भ में पर्याप्त स्वच्छता का ध्यान रखा गया है।		
सार्वजनिक सूचना केन्द्र की स्थापना की गई है।		
बचाव समूह व स्थानीय पुलिस को प्रत्येक पशु चिकित्सा के संसाधन की सूचना दी गई है।		